ए.

टेडी सिंह बनाम.

नारायण दास महांत (2022 की आपराधिक अपील संख्या 362) 07 मार्च, 2022

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881:s.139-धारक के पक्ष में अनुमान-प्रत्यर्थी ने यह कहते हुए शिकायत दर्ज की कि अपीलार्थी उसका दोस्त था और चूंकि उसे पैसे की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए उसने 7 लाख रुपये की राशि दी-हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा दिए गए चेक का अपमान किया गया था-अपीलार्थी यू/एस की दोषसिद्धि।138 – आयोजित किया गयाःएन. आई. अधिनियम के <आई. डी. 1 में प्रावधान है कि न्यायालय यह मान लेगा कि चेक धारक को एस. में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है।138 किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए-हालांकि, यह स्थापित करने के लिए अभियुक्त के लिए खुला है कि कोई विचार प्राप्त नहीं हुआ है-यह इस प्रावधान के संदर्भ में है कि 'संभावित बचाव' का सिद्धांत बढ़ा है-अभियुक्त से सबूत के अनुचित उच्च मानक का निर्वहन करने की उम्मीद नहीं की जाती है-अभियुक्त को जो कुछ भी स्थापित करने की आवश्यकता है वह एक संभावित बचाव है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर तय किया जाना है-यू/एस।138, वादी को पहली बार में यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी-उस समय, जब वादी अपना साक्ष्य देता है, जब तक कि वैधानिक नोटिस के जवाब नोटिस में कोई मामला साबित नहीं किया जाता है, जब तक कि वादी के पास साधन नहीं था, वादी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह शुरू में यह दिखाने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करे कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी-हालाँकि, आरोपी को यह प्रदर्शित करने का अधिकार है कि किसी विशेष मामले में वादी के पास वह क्षमता नहीं थी जो स्वतंत्र सामग्री प्रस्तुत करके की जा सकती है, अर्थात्, अपने गवाहों की जांच करके और दस्तावेज पेश करके-यह वादी द्वारा स्वयं प्रस्तुत सामग्री की ओर इशारा करके और वादी के गवाहों की प्रतिपरीक्षा करके भी साबित किया जा सकता है-इस मामले में, उत्तर नोटिस में अपीलकर्ता ने यह साबित नहीं किया कि वादी ने नहीं किया था।

जी.

एच.

442

443

टेडी सिंह बनाम नारायण दास महांत ए

खाली चेक रखने वाला-तथ्यों की समग्रता में, अपीलार्थी एस के तहत अपराध के तहत अदालतों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप का मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं हुआ है।138 अपीलार्थी द्वारा किया गया था-इस प्रकार, यू/एस द्वारा दोषसिद्धि।138 एन. आई. अधिनियम को बरकरार रखा गया-हालांकि, एक साल के कारावास की सजा के स्थान पर जुर्माना लगाया गया।

भारत का संविधानः Art.136-हस्तक्षेप करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति-संविधान का <ID1 केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में विशेष अनुमति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है-Art.136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं कर सकता है जहां तीन न्यायालय पूरी तरह से गलत हो गए हैं-इसका अर्थ यह नहीं समझा जा सकता है कि यह एक स्पष्ट मामला है कि तीन न्यायालय भी एक साथ स्पष्ट त्रुटि में पड़ जाते हैं और जिससे न्याय की विफलता होती है और फिर भी यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** यह सच है कि यह परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा **138** के तहत एक मामला है। एन**.** आई**.** अधिनियम की धारा **139** में यह प्रावधान है कि न्यायालय यह मान लेगा कि चेक धारक को किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए धारा **138** में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है।हालाँकि**,** यह धारणा स्पष्ट रूप से इस स्थिति के विपरीत साबित होने के अधीन है।दूसरे शब्दों में**,** यह स्थापित करना अभियुक्त के लिए खुला है कि कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है।यह इस प्रावधान के संदर्भ में है कि 'संभावित रक्षा' का सिद्धांत बढ़ा है।एक पूर्व निर्णय में**,** वास्तव में**,** जिसे बसलिंगप्पा में भी जोड़ा गया है**,** यह न्यायालय नोट करता है कि एन**.** आई**.** अधिनियम की धारा **139** विपरीत जिम्मेदारी का एक उदाहरण है।यह भी सच है कि इस न्यायालय ने पाया है कि

अभियुक्त से सबूत के अनुचित उच्च मानक का निर्वहन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तदनुसार यह सिद्धांत विकसित हुआ है कि अभियुक्त को जो कुछ भी स्थापित करने की आवश्यकता है वह एक संभावित बचाव है।इस बारे में कि क्या एक संभावित बचाव साबित किया गया है, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर मौजूद साक्ष्य और परिस्थितियों के संदर्भ में निर्णय लिया जाना है।**[**पैरा **7] [449-**डी-जी**]**

जी.

2. ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने नोट किया है कि एन**.** आई**.** एक्ट की धारा **138** के तहत मामले में**,** वादी को पहली बार में यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास क्षमता थी।एन**.** आई**.** अधिनियम की धारा **138** के तहत कार्यवाही एक दीवानी मुकदमा नहीं है।

एच.

उस समय**,** जब वादी अपना साक्ष्य देता है**,** जब तक कि भेजे गए वैधानिक नोटिस के जवाब नोटिस में कोई मामला स्थापित नहीं किया जाता है**,** कि वादी के पास साधन नहीं था**,** वादी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह शुरू में यह दिखाने के लिए साक्ष्य पेश करे कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी।इस हद तक अदालतें इन आधारों पर कायम रहने में सही थीं।हालाँकि**,** अभियुक्त को यह प्रदर्शित करने का अधिकार है कि किसी विशेष मामले में वादी के पास क्षमता नहीं थी और इसलिए**,** अभियुक्त का मामला स्वीकार्य है जो वह स्वतंत्र सामग्री प्रस्तुत करके कर सकता है**,** अर्थात्**,** अपने गवाहों की जांच करके और दस्तावेज़ प्रस्तुत करके।उसके लिए यह भी खुला है कि वह स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री की ओर इशारा करके उसी पहलू को स्थापित करे।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वादी के गवाहों की प्रतिपरीक्षा के माध्यम से इस परिणाम को प्राप्त कर सकता है।अंततः**,** यह न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है कि वे सावधानीपूर्वक विचार करें और साक्ष्य की समग्रता की सराहना करें और फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि क्या दिए गए मामले में**,** अभियुक्त ने दिखाया है कि वादी का मामला इस कारण से खतरे में है कि अभियुक्त ने एक संभावित बचाव साबित किया है।**[**पैरा **9] [450-**बी-ई**]3.** उत्तर सूचना में अपीलार्थी ने ऐसा कोई मामला नहीं रखा है कि प्रत्यर्थी के पास ऋण अग्रिम करने की वित्तीय क्षमता नहीं थी।वास्तव में चेक बुक या हस्ताक्षरित चेक लीफ के खो जाने का कोई संदर्भ नहीं है।चेक बुक या हस्ताक्षरित चेक पत्र के खो जाने की कोई शिकायत पुलिस या बैंक को नहीं दी गई थी। अपीलार्थी के पुत्र डी**.** डब्ल्यू**. 5** के साक्ष्य में**,** दिया गया संस्करण यह है कि **5.10.2011**

पर, पी. डब्ल्यू. **5** अपीलार्थी की चेक बुक के साथ घर से निकला था, जिसमें अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित एक चेक था, जिसमें अपीलार्थी की अनुपस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर धन निकालने के लिए था।उन्होंने यह संस्करण स्थापित किया कि उन्होंने एक बिना स्वामित्व वाली गाय को भगा दिया।मैदान में।इसके बाद, बस में बैठे हुए उन्होंने देखा कि चेक बुक उनके पास नहीं थी।उन्होंने आगे कहा कि चूंकि उनके पिता घर पर नहीं थे, इसलिए वह उन्हें घटना के बारे में नहीं बता सके और अपनी पढ़ाई में तल्लीन हो गए और घटना को भूल गए।**10.01.2013** पर दी गई धारा **313 Cr.PC** के तहत अपने बयान में, अपीलार्थी ने यह रुख अपनाया है कि उसने बैंक को सूचित किया है।डी. डब्ल्यू. **5** ने आगे कहा कि जब अपीलार्थी को नोटिस मिला तो उसने उससे चेक बुक के बारे में पूछा और फिर उसने उसे ए.

जी.

एच.

445

टेडी सिंह बनाम नारायण दास महांत ए

चेक बुक के खोने की घटना।फिर भी, जिस समय उत्तर सूचना भेजी गई थी, उस समय चेक पुस्तिका के खो जाने और प्रत्यर्थी द्वारा जिस चेक पर भरोसा किया गया था, वह खोए हुए हस्ताक्षरित चेक पत्र का उपयोग करके अस्तित्व में लाए जाने के बारे में मामला स्थापित नहीं किया गया है।यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी ने बैंक को खाली चेक वाली चेक बुक के खो जाने के बारे में सूचित किया था।वास्तव में, धारा **313 Cr.PC** के तहत बयान में अपीलार्थी ने कहा था कि एक खाली चेक वाली यह चेक बुक खो गई थी।अपीलार्थी के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि विचाराधीन चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं थे।**[**पैरा **10] [450-**एफ-एच**; 451-**ए-डी**]**

4. संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाला यह न्यायालय भी ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं कर सकता है जहां तीन न्यायालय पूरी तरह से

गलत हो गए हैं।अनुच्छेद **136** के तहत अपील में उत्पन्न अधिकार क्षेत्र निस्संदेह दुर्लभ और असाधारण है।संविधान का अनुच्छेद **136** केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में विशेष अवकाश प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।हालाँकि**,** इसे इस अर्थ के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि यह एक स्पष्ट मामला है कि तीन न्यायालय भी एक साथ स्पष्ट त्रुटि में पड़ जाते हैं और इस तरह न्याय की विफलता का कारण बनते हैं और फिर भी यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।**[**पैरा **11] [451-**डी**-**एफ**]**

5. तथापि**,** इस मामले के तथ्यों की समग्रता में अपीलार्थी ने न्यायालयों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला साबित नहीं किया है जिसके तहत धारा **138** एन**.** आई**.** अधिनियम के तहत अपराध अपीलार्थी द्वारा किया गया है।**7** लाख रुपये के मुआवजे की राशि जो चेक राशि से संबंधित है**,** पहले ही निचली अदालत में जमा की जा चुकी है। तथापि**,** अपीलार्थी को एक वर्ष के कारावास की सजा के स्थान पर जुर्माने के रूप में राहत दी जानी चाहिए।कारावास के विकल्प के रूप में **5,000/-** रुपये की राशि पर्याप्त होनी चाहिए।इसके अलावा**,** प्रत्यर्थी को मुआवजे के रूप में **Rs.15,000/-** की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।**[**पैरा **12] [451-**एफ**-**एच**]**

जी.

बसलिंगपा बनाम मुदिबसप्पा **(2019) 5** एस**.** सी**.** सी**. 418:**

[2019] 6 एस**.** सी**.** आर**. 555-**निर्भर।मामला कानून संदर्भ

[2019] 6 एससीआर **555**

उस पर भरोसा करें

पैरा **3**

एच.

446

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 362।

2018 के आपराधिक संशोधन No.129 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.09.2018 के निर्णय और आदेश से।सुश्री संगीता भारती, सुशील कुमार सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।अजय मारवाह, तपन मस्ता, आयुष गुप्ता, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थी उच्च न्यायालय के उस फैसले पर सवाल उठाता है जिसके द्वारा उसने सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 397 के तहत दायर 2018 के आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया था, जिसके द्वारा न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की थी।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'एन. आई. अधिनियम') की धारा 138 के तहत अपराध करने का दोषी पाया।अपीलार्थी को एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है।इसके अलावा, अपीलार्थी को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए कहा जाता है।

3. प्रत्यर्थी की शिकायत इस आरोप पर आधारित थी कि अगस्त, 2011 के महीने में अपीलार्थी को तत्काल धन की आवश्यकता थी और दोस्ती के कारण उसने 7 लाख रुपये की राशि दी और अपीलार्थी द्वारा दिए गए चेक का अपमान किया गया।मुकदमे में, शिकायत के बाद अपीलार्थी ने डी. डब्ल्यू.-1 से डी. डब्ल्यू.-4 की जांच की।वे चार बैंकों के अधिकारी हैं। यह अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता के शब्दों में वर्णित 'एक संभावित बचाव' को प्रस्तुत करने के प्रयास में किया गया था।यह अपीलार्थी द्वारा यह दिखाने का एक प्रयास था कि वादी का यह कथन कि उसके पास 7 लाख रुपये का ऋण अग्रिम करने के लिए वित्तीय साधन था, स्वीकार नहीं किया जाना था।यह वह मामला है जिसे अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री संगीता भारती ने उकसाया है।वास्तव में, वह शिकायत करेगी कि विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह ज्ञात नहीं है कि किस उद्देश्य के लिए डीडब्ल्यू-1 से डीडब्ल्यू-4 की जांच की गई है।यह अपीलार्थी का मामला है कि निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को इस तर्क को आगे बढ़ाने में मदद करेगा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय और दोनों न्यायालयों के पास ए नहीं है।

जी.

एच.

447

तेदी सिंह बनाम नारायण दास महांत [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

'संभावित बचाव' के प्रभाव के संबंध में निर्धारित कानून की सराहना की।उन्होंने इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

बसलिंगपा बनाम मुदिबसप्पा ने (2019) 5 एस. सी. सी. 418 में रिपोर्ट किया।

इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया हैः- "25. हम धारा 118 (ए) और 139 पर उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, अब हम इस न्यायालय द्वारा गिने गए सिद्धांतों को निम्नलिखित तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत करते हैंः

25.1.एक बार चेक के निष्पादन को स्वीकार करने के बाद अधिनियम की धारा 139 एक धारणा को अनिवार्य करती है कि चेक किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए था।

25.2.धारा 139 के तहत अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है और संभावित बचाव करने की जिम्मेदारी आरोपी पर है।अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।

25.3.अनुमान का खंडन करने के लिए, अभियुक्त के लिए अपने नेतृत्व में साक्ष्य पर भरोसा करना खुला है या अभियुक्त संभावित बचाव करने के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है।संभावनाओं की प्रधानता का अनुमान न केवल पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से लिया जा सकता है, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ से भी लिया जा सकता है जिन पर वे भरोसा करते हैं।

25.5.अभियुक्त के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने बचाव का समर्थन करने के लिए गवाह के बक्से में आए।"

4. इसलिए वह इस मामले के तथ्यों में इंगित करेंगी कि जब वादी से जिरह की गई थी, तो उसने कहा था कि लेन-देन एक विशेष तिथि, अर्थात् 5 अगस्त, 2011 को हुआ था और उसने निम्नानुसार बयान भी दिया थाः-

".....अगस्त के पहले सप्ताह में उसी तारीख को पैसे की मांग की गई थी।मैंने अगस्त में पैसे दिए थे।मुझे तारीख याद नहीं है।आरोपी ने मुझसे 5 अगस्त को पैसे की मांग की थी।मेरे बैंक खाते स्टेट बैंक कुल्लू, आईसीआईसीआई कुल्लू, पीएनबी कुल्लू और ग्रामीण बैंक कुल्लू में भी हैं।मैं यह नहीं बता सकता कि मैंने पैसे कहां से निकाले थे।मैंने 2 या 2.50 लाख रुपये निकाले थे।बाकी पैसा मेरे पास था, जो मैंने दिया था।अभियुक्त ने अगस्त के अंत में मुझे चेक दिया था।जब उन्होंने मुझे चेक दिया, तब भी हम दोनों ही थे।मैं अपने साथ लेखा-जोखा नहीं लाया हूँ।यह गलत है कि आरोपी नहीं है

जी.

एच.

मुझे जानते हैं।यह भी गलत है कि आरोपी ने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया है।यह भी गलत है कि मेरे पास इतनी राशि का भुगतान करने की वित्तीय स्थिति या क्षमता नहीं है।यह भी गलत है कि आरोपी ने मुझसे पैसे की मांग नहीं की थी।यह भी गलत है कि मैंने आरोपी को कोई पैसा नहीं दिया था।मुझे नहीं पता कि आरोपी ने अपनी चेक बुक खो दी थी।स्वेच्छा से कहा कि आरोपी ने खुद मुझे चेक दिया था।यह भी गलत है कि मैंने खोए हुए चेक में अपना नाम और राशि भरी थी, जिस पर आरोपी ने हस्ताक्षर किए थे और जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के लिए रखा था और मैंने उक्त जाली चेक प्रस्तुत किया था।मुझे नोटिस का जवाब मिल गया था।यह गलत है कि मैंने जाली चेक के आधार पर झूठा मामला पेश किया है।"5. इसलिए, वह यह इंगित करेंगी कि जब अपीलार्थी द्वारा डी. डब्ल्यू.-1 के माध्यम से डी. डब्ल्यू.-4 को प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह साबित करेगा कि वादी -प्रतिवादी का यह कथन कि उसने बैंक से 2 या ढाई लाख रुपये की एक विशिष्ट राशि निकाली थी और अपीलार्थी को अपने पास मौजूद धन के साथ दिया था और जब यह पहलू गलत साबित हो जाएगा तो वादी का पूरा मामला ध्वस्त हो जाएगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियुक्त द्वारा एक संभावित बचाव किया गया है।ऐसी परिस्थितियों में, वादी के पक्ष में निर्णय देने वाले तीन न्यायालय पूरी तरह से गलत थे और वास्तव में, उच्च न्यायालय, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ने इस संबंध में बचाव पक्ष

के गवाहों से पूछताछ के उद्देश्य की सराहना भी नहीं की है।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि यह एक ऐसा मामला है जहां विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के विपरीत वास्तव में अपीलार्थी द्वारा एक उत्तर सूचना दी गई थी जैसा कि वादी द्वारा स्वीकार किया गया था।

6. प्रति-अनुबंध, श्री अजय मारवाह, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता , हमारा ध्यान उस संस्करण की ओर आकर्षित करेंगे जिसे अपीलार्थी द्वारा डी. डब्ल्यू.-5 के माध्यम से तैयार करने की मांग की गई थी, जो संयोग से अपीलार्थी का बेटा था।उन्होंने हमें साक्ष्य के माध्यम से लिया और फिर यह बात कही कि अपीलार्थी का संस्करण यह था कि चेक बुक के साथ हस्ताक्षरित चेक खो गया था, जबकि इसे डी. डब्ल्यू.-5 द्वारा ले जाया जा रहा था, लेकिन वह अदालत से यह ध्यान देने का अनुरोध करता है कि न तो डी. डब्ल्यू.-5 और न ही अपीलार्थी ने बैंक या पुलिस को हस्ताक्षरित चेक के खो जाने की शिकायत की थी।वह इंगित करता है कि अपीलार्थी द्वारा भेजे गए उत्तर सूचना के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होगा कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ परिचित और मैत्रीपूर्ण था।इसने वादी के मामले को फिर से मजबूत किया कि वादी के पास ए है।

जी.

एच.

449

तेदी सिंह बनाम नारायण दास महांत [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

हाथ ऋण देकर आवश्यकता के समय अपीलार्थी की सहायता की।वह आगे बताते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि चेक पर हस्ताक्षर अपीलार्थी का नहीं है।इस संबंध में, वास्तव में, नीचे दिए गए न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि अपीलार्थी ने यह स्थापित करने के लिए अपीलार्थी के बैंक से अधिकारी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि हस्ताक्षरित चेक के कथित नुकसान के संबंध में बैंक को कोई सूचना दी गई थी।उन्होंने आगे अपीलार्थी द्वारा दिए गए Cr.P.C की धारा 313 के तहत दिए गए बयानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।वह इंगित करेंगे कि न तो उत्तर सूचना में और न ही Cr.P.C की धारा 313 के तहत दिए गए बयान में, यह अपीलार्थी का मामला है कि प्रत्यर्थी के पास हस्त ऋण देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी।वह आगे यह कहते हुए समाप्त करता है कि अपीलार्थी के पास

प्रत्यर्थी की ऋण राशि की क्षमता के बारे में कोई मामला नहीं है जो बैंक से निकासी के लिए संदर्भित राशि को काटने के बाद बची हुई है।वह आगे तर्क देंगे कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रख सकता है कि तीन न्यायालयों ने अपीलार्थी के खिलाफ निर्णय दिया है और हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

7. यह सच है कि यह परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मामला है। एन. आई. अधिनियम की धारा 139 में यह प्रावधान है कि न्यायालय यह मान लेगा कि चेक धारक को किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है।हालाँकि, यह धारणा स्पष्ट रूप से इस स्थिति के विपरीत साबित होने के अधीन है।दूसरे शब्दों में, यह स्थापित करना अभियुक्त के लिए खुला है कि कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है।यह इस प्रावधान के संदर्भ में है कि 'संभावित रक्षा' का सिद्धांत बढ़ा है।एक पूर्व निर्णय में, वास्तव में, जिसे बसलिंगप्पा (ऊपर) में भी जोड़ा गया है, यह न्यायालय नोट करता है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 139 रिवर्स ऑनस का एक उदाहरण है [देखें (2010) 11 एस. सी. सी. 441)।यह भी सच है कि इस न्यायालय ने पाया है कि अभियुक्त से सबूत के अनुचित उच्च मानक का निर्वहन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।तदनुसार यह सिद्धांत विकसित हुआ है कि अभियुक्त को जो कुछ भी स्थापित करने की आवश्यकता है वह एक संभावित बचाव है।इस बारे में कि क्या एक संभावित बचाव साबित किया गया है, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर मौजूद साक्ष्य और परिस्थितियों के संदर्भ में निर्णय लिया जाना है।

जी.

8. यह वास्तव में सच है कि अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री संगीता भारती की शिकायत में कुछ योग्यता है कि विवादित फैसले में उच्च न्यायालय ने डी. डब्ल्यू.-1 से डी. डब्ल्यू.-4 की जांच के वास्तविक उद्देश्य की सराहना नहीं की है।वह भी सही हैं जब उन्होंने ग्रामीण बैंक यानी ग्रामीण बैंक, कुल्लू के खातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

एच.

यह दर्शाता है कि 5 अगस्त, 2011 से पहले अपीलार्थी ने उक्त बैंक में खाते का संचालन बंद कर दिया था और उक्त खाते में बहुत कम और अक्षम्य राशि उपलब्ध थी।

9. ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने नोट किया है कि एन. आई. एक्ट की धारा 138 के तहत मामले में वादी को पहली बार में यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास क्षमता थी।एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही एक दीवानी मुकदमा नहीं है।उस समय, जब वादी अपना साक्ष्य देता है, जब तक कि भेजे गए वैधानिक नोटिस के जवाब नोटिस में कोई मामला स्थापित नहीं किया जाता है, कि वादी के पास साधन नहीं था, वादी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह शुरू में यह दिखाने के लिए साक्ष्य पेश करे कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी।इस हद तक हमारे विचार में अदालतें इन आधारों पर कायम रहने में सही थीं।हालाँकि, अभियुक्त को यह प्रदर्शित करने का अधिकार है कि किसी विशेष मामले में वादी के पास क्षमता नहीं थी और इसलिए, अभियुक्त का मामला स्वीकार्य है जो वह स्वतंत्र सामग्री प्रस्तुत करके कर सकता है, अर्थात्, अपने गवाहों की जांच करके और दस्तावेज़ प्रस्तुत करके।उसके लिए यह भी खुला है कि वह स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री की ओर इशारा करके उसी पहलू को स्थापित करे।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वादी के गवाहों की प्रतिपरीक्षा के माध्यम से इस परिणाम को प्राप्त कर सकता है।अंततः, यह न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है कि वे सावधानीपूर्वक विचार करें और साक्ष्य की समग्रता की सराहना करें और फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि क्या दिए गए मामले में, अभियुक्त ने दिखाया है कि वादी का मामला इस कारण से खतरे में है कि अभियुक्त ने एक संभावित बचाव साबित किया है।

10. हमने इस मामले में साक्ष्य की प्रकृति का अध्ययन किया है।हम इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हैं कि तीन न्यायालयों ने प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय दिया है।इस संबंध में हम ध्यान रखते हैं कि यद्यपि यह सच है कि उत्तर सूचना अपीलार्थी द्वारा भेजी गई थी, फिर भी वह प्रत्यर्थी के मामले को स्वीकार करता है कि पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।उत्तर सूचना में अपीलार्थी ने ऐसा कोई मामला नहीं रखा है कि प्रत्यर्थी के पास ऋण अग्रिम करने की वित्तीय क्षमता नहीं थी।वास्तव में हम यह भी देखते हैं कि चेक बुक या हस्ताक्षरित चेक पत्र के खो जाने का कोई संदर्भ नहीं है।चेक बुक या हस्ताक्षरित चेक पत्र के खो जाने की कोई शिकायत पुलिस या बैंक को नहीं दी गई थी।अपीलार्थी के पुत्र डी. डब्ल्यू. 5 के साक्ष्य में, दिया गया संस्करण यह है कि 5.10.2011 पर, पी. डब्ल्यू. 5 अपीलार्थी की चेक बुक के साथ घर से निकला था, जिसमें अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित एक चेक था, जिसमें अपीलार्थी की

अनुपस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर धन निकालने के लिए था।उन्होंने यह संस्करण स्थापित किया कि उन्होंने एक ए को भगा दिया

जी.

एच.

451

तेदी सिंह बनाम नारायण दास महांत [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

बिना मालिक की गाय।मैदान में।इसके बाद, बस में बैठे हुए उन्होंने देखा कि चेक बुक उनके पास नहीं थी।उन्होंने आगे कहा कि चूंकि उनके पिता घर पर नहीं थे, इसलिए वह उन्हें घटना के बारे में नहीं बता सके और अपनी पढ़ाई में तल्लीन हो गए और घटना को भूल गए। 10.01.2013 पर दी गई धारा 313 Cr.PC के तहत अपने बयान में, अपीलार्थी ने यह रुख अपनाया है कि उसने बैंक को सूचित किया है।यह ध्यान देने योग्य है कि डी. डब्ल्यू. 5 ने आगे बयान दिया है कि जब अपीलार्थी को नोटिस मिला तो उसने उससे चेक बुक के बारे में पूछा और फिर उसने उसे चेक बुक के खो जाने की घटना के बारे में बताया।फिर भी, जिस समय उत्तर सूचना भेजी गई थी, उस समय चेक पुस्तिका के खो जाने और प्रत्यर्थी द्वारा जिस चेक पर भरोसा किया गया था, वह खोए हुए हस्ताक्षरित चेक पत्र का उपयोग करके अस्तित्व में लाए जाने के बारे में मामला स्थापित नहीं किया गया है।हम पहले ही देख चुके हैं कि यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी ने खाली चेक वाली चेक बुक के खो जाने के बारे में बैंक को सूचित किया था।वास्तव में, धारा 313 Cr.PC के तहत बयान में अपीलार्थी ने कहा था कि एक खाली चेक वाली यह चेक बुक खो गई थी।अपीलार्थी के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि विचाराधीन चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं थे।

11. हमें यहां जल्दबाजी करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाला यह न्यायालय भी ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं कर सकता है जहां तीन न्यायालय पूरी तरह से गलत हो गए हैं।अनुच्छेद 136 के तहत अपील में उत्पन्न अधिकार क्षेत्र निस्संदेह दुर्लभ और असाधारण है।संविधान का अनुच्छेद 136 केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में विशेष अवकाश प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।हालाँकि, इसे इस अर्थ के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि यह एक स्पष्ट मामला है कि तीन न्यायालय भी एक साथ स्पष्ट त्रुटि में पड़ जाते हैं और इस तरह न्याय की विफलता का कारण बनते हैं और फिर भी यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

12. तथापि, हम सोचेंगे कि इस मामले के तथ्यों की समग्रता में अपीलार्थी ने न्यायालयों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला साबित नहीं किया है जिसके तहत धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध अपीलार्थी द्वारा किया गया है।हमें बताया गया है कि 7 लाख रुपये के मुआवजे की राशि, जो चेक राशि से संबंधित है, निचली अदालत में पहले ही जमा की जा चुकी है।तथापि, हम सोचेंगे कि अपीलार्थी को एक वर्ष के कारावास की सजा के स्थान पर जुर्माने के रूप में राहत दी जानी चाहिए।5, 000/- (पाँच हजार) की राशि हमें एक ऐसी राशि के रूप में मिलती है जो कारावास के विकल्प के रूप में पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा, हम यह भी निर्देश देंगे कि प्रत्यर्थी को मुआवजे के रूप में Rs.15,000/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

जी.

एच.

13. तदनुसार, अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।जबकि हम दोषसिद्धि को बरकरार रखते हैं, हम निर्देश देते हैं कि एक वर्ष के कारावास की सजा खाली हो जाएगी।तथापि, अपीलार्थी को 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी जिसे वह आज से एक महीने की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय में जमा कर देगा।चूक के मामले में, अपीलार्थी को एक महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा।अपीलार्थी अतिरिक्त मुआवजे के रूप में Rs.15,000/- की राशि भी जमा करेगा जिसे प्रत्यर्थी द्वारा वापस लिया जा सकता है।आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निचली अदालत में जमा किया जाएगा।

ऊपर के रूप में अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

जी.

एच.